

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268746
SG-DL-E-22122025-268746असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947	[रा.रा.क्ष.दि. सं. 387
No. 394]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSA 1, 1947	[N. C. T. D. No. 387

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त विभाग
(राज्य संसाधन प्रभाग)
अधिसूचना

दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2025

फा. सं. FIN-SRD016/2/2025-SRD-FINANCE DEPARTMENT.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाए।
- (2) ये संशोधन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. प्रपत्र पी-6 में संशोधन :-

(संदर्भ: दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का नियम 33 तथा 78)

- प्रपत्र पी-6 की विशेष शर्त संख्या 1 में, 'उक्त परिसर में एक समय में संग्रहीत विशेष विकृत स्पिरिट की कुल मात्रा 6744 किलो लीटर से अधिक नहीं होगी' शब्दों को 'उक्त परिसर में एक समय में संग्रहीत विशेष विकृत स्पिरिट की कुल मात्रा 15000 किलो लीटर से अधिक नहीं होगी' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- प्रपत्र पी-6 की विशेष शर्त संख्या 2 में, 'परमिट धारक की वार्षिक प्राधिकृत आधिपत्य की सीमा 64,000 किलो लीटर निर्धारित की गई है' शब्दों को 'परमिट धारक की वार्षिक प्राधिकृत आधिपत्य की सीमा 1,20,000 किलो लीटर निर्धारित की गई है' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. (दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 20 में संशोधन)

1. नियम 20 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :-

नियम 20 में- "बशर्ते कि दिल्ली के विशेष, चर्च के प्रमाणिक धार्मिक प्रयोजन के उपयोग हेतु 91 लीटर तक पवित्र पेय (वाइन) की खरीद, परिवहन कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं।" शब्दों को "बशर्ते कि दिल्ली के विशेष, चर्च के प्रमाणिक धार्मिक प्रयोजन के उपयोग हेतु, आबकारी आयुक्त के अनुमोदन से भारत में कहीं भी किसी अधिकृत डिस्टिलरी से एक या एकाधिक परमिट में वार्षिक 4000 लीटर तक शुल्क मुक्त पवित्र पेय (वाइन) की खरीद/आयात, परिवहन कर सकते हैं तथा अपने पास रख सकते हैं।" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलभूषण बब्बर, उप-सचिव-II (वित्त)

FINANCE DEPARTMENT

(State Resource Division)

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd December, 2025

F. No. FIN-SRD016/2/2025-SRD-FINANCE DEPARTMENT/—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010 namely:

1. Short Title and Commencement: -

- These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2025
- These amendments shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. Amendment in Form P-6:-

(Ref: Rule 33 & 78 of Delhi Excise Rules, 2010)

- In the special condition no. 1 of the Form P-6, the words '*The total quantity of special denatured spirit stored in the said premises shall not exceed 6744 Kilo Litres at one time*' shall be substituted with the words '*The total quantity of special denatured spirit stored in the said premises shall not exceed 15,000 Kilo Litres at one time.*'
- In the special condition no. 2 of Form P-6, the words '*The annual authorized possession limit of the permit holder has been fixed at 64,000 Kilo Litres*' shall be substituted with the words '*The annual authorized possession limit of the permit holder has been fixed at 120,000 Kilo Litres.*'

3. Amendment in Rule 20 of Delhi Excise Rules, 2010-**1. Rule 20 shall be amended as-**

In Rule 20 the words – “Provided further that Bishop of Delhi may, for bonafide Church use for sacramental purpose, purchase, transport, possess sacramental wine upto 91 litres:” shall be replaced with the words – “Provided further that the Bishop of Delhi may, for bona fide church use for sacramental purpose, purchase/import, transport and possess duty free sacramental wine annually up to 4000 litres in one or multiple permits from an authorized distillery anywhere in India with the approval of the Excise Commissioner:”

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

KULBHUSHAN BABBAR, Dy. Secy.-II (Finance)